कार्यालय वन वृत्त, सिवनी (म.प्र.)

E- mail : ccf.sni@mp.gov.in ☎ (07692) – 220594, Fax – 225554

आदेश

आदेश क्रमांक./स्था.प्र./ 104 **सिवनी दिनांक** 10/07/2026

वृत्त स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09/07/2026 एवं 10/07/2026 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सहायक महावत को महावत के पद पर वेतनमान (19500-62000 **लेवल** 4) में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम **2025** तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी संशोधनों/निर्देशों एवं परिपत्रों के तत्वाधान निम्नानुसार शर्तो के अधीन पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.	यूनिक एम्प्लाई कोड	कर्मचारी का नाम	जाति संवर्ग	वर्तमान पदस्थिति	नवीन पदस्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	360013120	श्री केशूसिंह	अ.ज.जा.	पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी

शर्ते :-

1/ यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन रहेगी। यह आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के नियम 22 के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

2/ उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका कमाक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगी एवं यह पदोन्नति आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में म०प्र० शासन विरूद्ध विनय कुमार बवेले SLP (सिविल) कमांक 5868/2023 तथा अन्य लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

3/ पदोन्नत कर्मचारी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के लिए बाध्य होगा। म०प्र० तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 के **नियम 19 के तहत पदोन्नति कर्मचारी को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा।** पदोन्नति आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से पदोन्नत शासकीय सेवक द्वारा पदभार ग्रहण किया जायेगा, ऐसे मामले में यहां किसी लोकसेवक द्वारा पदोन्नत पद पर 02 माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं उसको आगामी 5 वर्ष के लिये पदोन्नति से वंचित किया जा सकेगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त कारणों के आधार पर पद ग्रहण अवधि के संबंध में छूट दी जा सकेगी।

4/ यदि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन/लोकायुक्त प्रकरण चल रहा है अथवा भविष्य में प्रकाश में आता है तो यह पदोन्नति आदेश बिना पूर्व सूचना के संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

5/ समस्त पदोन्नत किए गए शासकीय सेवक वर्तमान में जिस कार्यालय के अंतर्गत पदस्थ है उसी कार्यालय के अधीन उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

6/ यदि किसी न्यायालय, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश अथवा भविष्य में प्राप्त किसी तथ्य के आधार पर यह पदोन्नति त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो बिना पूर्व सूचना के इसे निरस्त/संशोधित किया जा सकेगा।

7/ पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन, वरिष्ठता एवं अन्य सेवा लाभ संबंधित प्रचलित नियमों एवं शासन के निर्देशों के अनुसार देय होंगे।

8/ पदोन्नत अधिकारी को पदभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित पद के सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना होगा तथा प्रचलित सेवा नियमों का पालन करना होगा।

9/ यदि पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता, अभिलेख, सतर्कता (Vigilance) अथवा अन्य आवश्यक शर्तों के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य बाद में प्रकाश में आता है, तो यह पदोन्नति स्वतः पुनर्विचार योग्य होगी तथा आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकेगी।

10/ इस पदोन्नति कार्यवाही या किसी कर्मचारी के पदोन्नति के संबंध में कोई न्यायालयीन विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालयीन निर्णय बंधनकारी होगा।

11/ यदि किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जाती है अथवा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तो उसके संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2025 एवं शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

12/ यदि पदोन्नति प्रदान करने में किसी प्रकार की लिपिकीय/तथ्यात्मक त्रुटि पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी को इस आदेश में आवश्यक संशोधन अथवा निरस्तीकरण करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13/ उक्त पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

उक्त पदोन्नत आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क0/3/1 / 2/0366/2025-GAD-3-01 भोपाल दिनांक 30.06.2026 के साथ संलग्न माननीय महाधिवक्ता मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 4829 दिनांक 29.06.2026 एवं वरिष्ठ महाधिवक्ता सी.एस. वैदयनाथन के अनुसरण में जारी किया गया है। म०प्र० लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों / नियम 5. 11 एवं 12 (1) (2) (3) के प्रावधान अनुसार पालन करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की गई है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(संध्या)
वन संरक्षक
सिवनी वृत्त सिवनी (म.प्र.)

पृ. क्रमांक./स्था.प्र./ 2245 **सिवनी, दिनांक** 10/07/2026

प्रतिलिपि:-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2- क्षेत्र संचालक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3- कार्य आयोजना अधिकारी सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4- समस्त वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय/उत्पादन)/सामाजिक वानिकी वनमंडल, वन वृत्त सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5- समस्त संबंधित कर्मचारी की ओर संबंधित वनमंडल के माध्यम से सूचनार्थ अग्रेषित।
6- आदेश फाईल
7- गार्ड फाईल

वन संरक्षक
सिवनी वृत्त सिवनी (म.प्र.)
10/7/2026